

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-मुबारकपुर

छेड़खानी का वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.05.2021 को थाना क्षेत्र मुबारकपुर निवासी एक व्यक्ति ने थाना मुबारकपुर पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरी पुत्री को आरोपी आये दिन परेशान करता है तथा छेड़खानी करता है जिसकी शिकायत उसके परिजन को किया गया तो उल्टे ही उसके परिजन मुझे गाली – गुप्ता दिया तथा मारने के लिए दौड़ा लिये। उसके पश्चात दिनांक 24.05.2021 को मेरी पुत्री अपने कमरे में सो रही थी कि समय 03.00 बजे रात्रि में आरोपी घर में घुस गया तथा मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा शोल गुल पर आरोपी भाग गया। सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 114/2021 धारा 354क,352,452,504भा०द०वि० व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक- 27.05.2021 को थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि मु०अ०सं०- 114/2021 धारा 354क ,352,452,504भा०द०वि० व 7/8 पास्को एक्ट का वाँछित अभियुक्त ओसामा पुत्र नूर आलम सा० नयापुरा कस्बा मुबारकपुरथाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ कही जाने के फिराक में रोडवेज पर खड़ा है इस सूचना पर थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए रोडवेज चौराहे पर पहुंचा जहां उक्त अभियोग का वाँछित अभियुक्त ओसामा पुत्र नूर आलम सा० नयापुरा कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय 19.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं०- 114/2021 धारा 354क ,352,452,504भा०द०वि० व 7/8 पास्को एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त ओसामा पुत्र नूर आलम सा० नयापुरा कस्बा मुबारकपुरथाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. उ०नि० कमल नयन दुबे चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० रविन्द्र कुमार सिंह, चौकी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना-मुबारकपुर

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.05.2021 को आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक की पुत्री दिनांक 17/18.05.2021 को समय करीब रात्रि 12.00 बजे से ही लापती है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में विवेचना से गुमशुदा लड़की कि बरामदगी से ज्ञात हुआ कि घटना कि रात को आवेदक की पुत्री शौच करने बाहर गयी उसी बीच गांव के ही 1. यशवंत पुत्र केवल चौहान 2. सोनू पुत्र

सतीश चौहान निवासीगण लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्री को अगवा कर 7 दिनो तक कमरे के अन्दर कैद करके दुष्कर्म किये। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376(D) भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। तत्पश्चात उक्त अभियोग में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त कहीं भागने के फिराक में बनकट बाजार में खड़ा है इस सूचना पर थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए बनकट बाजार पहुँचा जहाँ उक्त अभियोग का वांछित अभियुक्त सोनू चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 27.05.2021 समय 19.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0- 109/2021 धारा 363,366,376 Dभा0द0वि0 व 3/4 पास्को एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सोनू चौहान पुत्र सतीश चौहान निवासी गण लाड़ो पो0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 मधुसुदन चौरसिया चौकी प्रभारी बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 आत्मानन्द शाक्य, चौकी बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना-मुबारकपुर

छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.05.2021 को आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी पुत्री दिनांक 25.05.2021 को अपने कमरे में सो रही थी कि समय 12.00 बजे रात्रि में आरोपी सीढ़ी के रास्ते घर में घुस गया तथा आवेदक के पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा शोल-गुल पर आरोपी भाग गया। इस सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 115/2021 धारा 354क, 452, भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2021 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना मुबारकपुर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0- 115/2021 का वांछित अभियुक्त दिनेश सरोज पुत्र अवधेश सरोज सा0 बिन्द मठिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ कहीं जाने के फिराक में गुजरपार पुल पर खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह द्वारा गुजरपार पुल के पास पहुँचे जहाँ उक्त अभियोग का वांछित अभियुक्त दिनेश सरोज पुत्र अवधेश सरोज सा0 बिन्द मठिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय 09.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-115/2021 धारा 354क, 452, भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

दिनेश सरोज पुत्र अवधेश सरोज सा0 बिन्द मठिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 नागेन्द्र प्रसाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़